

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

प्रारूप-6

श्री मुख्त्यार सिंह, व्याख्याता (अंग्रेजी) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कीकरवाली, (रायसिंहनगर) जिला श्रीगंगानगर मे कार्यरत है, जिनकी जन्मतिथि 13.06.1964 है एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 18.07.1991 है, ने नियमानुसार नोटिस प्रस्तुत कर दिनांक 17.01.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृति चाही है। अतः राजस्थान पेंशन नियम 1996 के नियम 50(4) एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(7)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 14.01.2016 की अनुपालना में दिनांक 17.01.2019 से स्वैच्छिक सेवानिवृति स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उप नामित श्री मुख्त्यार सिंह के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम -19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-1/स्वै0से.नि./2018-19

दिनांक : 22/11/18

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, बीकानेर
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, बीकानेर संभाग, बीकानेर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-मुख्यालय), श्रीगंगानगर
4. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कीकरवाली, (रायसिंहनगर) जिला श्रीगंगानगर
5. श्री मुख्त्यार सिंह, व्याख्याता (अंग्रेजी) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कीकरवाली, (रायसिंहनगर) जिला श्रीगंगानगर
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा
7. अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठता अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि श्री सिंह व्याख्याता (अंग्रेजी) के पद पर वर्ष 2016-17 की डीपीसी से चयनित कार्मिक है।
8. अनुभाग अधिकारी, सी-2 अनुभाग ओ0ए0सी0।
9. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर